>

Title: Need to stop Haryana from utilizing water of Bhakra Canal and release of the remaining 0.17 M.A.F. portion of water of Ravi-Beas to Rajasthan - Laid.

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू) : महोदय, हरियाणा ने नई लिंक नहर का निर्माण कर राजस्थान के पानी पर नया संकट खड़ा कर दिया है। हरियाणा हांसी, भिवानी व रोहतक जिलों की फसलों को सींचने के लिए लिंक नहर का निर्माण कर रहा है, जिसके लिए वह भाखड़ा मुख्य नहर से पानी लेने की तैयारी कर चुका है। हरियाणा भांखड़ा मेन लाईन के जरिए रावी-व्यास पानी को भाखड़ा सतलुज लिंक नहर से रोहतक तक ले जाना चाहता है, इसी नहर से राजस्थान का पानी आता है। हरियाणा के इस कदम के खिलाफ पंजाब तो सुप्रीम कोर्ट चला गया है तथा राजस्थान सरकार ने भी इसके लिए तैयारी कर ली है। हरियाणा की इस नई नहर के लिए भाखड़ा मुख्य नहर से पानी दिया जाता है, तो राजस्थान की सिधमुख-नोहर के लिए पानी का संकट पैदा हो जाएगा। इस नहर से 1 लाख 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होती है। सिधमुख-नोहर के लिए राजस्थान के 0.57 एम.ए.एफ दावे पर 0.47 एम.ए.एफ पर फैसला किया गया था, जिसमें वर्तमान ने 0.30 एम.ए.एफ पानी ही उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजस्थान ने वर्ष 2002 में ही सिधमुख-नोहर परियोजना से सिंचित क्षेत्र की सिंचाई हेतु पूर्ण क्षमता विकसित कर ली है। अतः रावी व्यास के अधिक्य पानी से राजस्थान के हिस्से का शेष 0.17 एम.ए.एफ पानी आबंटित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि हरियाणा द्वारा नई नहर के निर्माण से उपयोग होने वाले पानी पर तुंत रोक लगायी जाये एवं रावी व्यास के अधिक्य पानी से राजस्थान के हिस्से का शेष 0.17 एम.ए.एफ पानी राजस्थान को तुंत आबंटित किया जाये।